संख्या ✓ /22–XIX-2/38 खाद्य/2020 टीसी

प्रेषक,

डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।

3– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक, मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रूद्रपुर।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2 देहरादून, दिनाँक 20 सितम्बर, 2022

विषयः <u>खरीफ खरीद सत्र 2022–23 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद नीति।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खाद्यायुक्त के पत्र सं0 संख्या– 1368/आ0विशा0/मॉ0ड्रा0/2022–23 दिनांक 27.08.2022 के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2022–23 में धान की खरीद नीति का प्रस्तावित ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2022–2023 में निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार धान की खरीद की जायेगी। धान की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 732/22–XIX-2/38 खाद्य/2020, दिनाँक 16.08.2022 द्वारा जारी की जा चुकी है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. <u>धान का समर्थन मूल्य :–</u>

भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (क्रय मूल्य) निर्धारित गुणविनिर्दिष्टियों के आधार पर निम्नवत निर्धारित किया गया हैः–

धान श्रेणी	मूल्य रूपये प्रति कुन्टल
कॉमन	2040.00
ग्रेड "ए"	2060.00

2. <u>धान क्रय की अवधि–</u>

खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 के अन्तर्गत राज्य में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक होगी।

3. क्रय केन्द्रों का समय–

3(1) सामान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुले रखे जायेंगे। जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्रों के खुलने एवं बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु अधिकृत होंगे।

3(2) कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। जनपदों में निरन्तर अवकाश होने की स्थिति में जिलाधिकारी अपने–अपने जनपदों में कृषकों की सुविधा के लिये क्रय केन्द्रों को खोलने हेतु निर्णय ले सकते हैं।

4. गुणविनिर्दिष्टियाँ–

खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुसार ही धान का क्रय किया जायेगा।

5– कृषक पंजीयन–

5(1) खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में धान क्रय केन्द्रों पर धान के विक्रय हेतु कृषक को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के https://ekhareedfcs.uk.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं, क्रय केन्द्र पर, जनसूचना केन्द्रों के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जा सकेगा।

सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा क्रय संस्थाओं के सहयोग से कृषकों के पंजीकरण हेतु समस्त सुविधाओंयुक्त मोबाइल वैन के माध्यम से प्रत्येक न्याय पंचायतों में कृषक पंजीकरण हेतु एक अभियान चलाया जायेगा तथा यथासम्भव खरीद सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही कृषकों का उनके गांव/न्याय पंचायतों में पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करा ली जायेगी।

5(2) सम्भाग व जनपद स्तर पर धान क्रय हेतु पंजीकरण का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा जिसमें विशेष रूप से उल्लेख होगा कि कृषक धान विक्रय से पूर्व पंजीकरण करा लें, ताकि उनकी भूमि व बैंक एकाउण्ट का वेरिफिकेशन समय से हो जाये एवं उनको क्रय केन्द्रों पर धान विक्रय करने में असुविधा न हो तथा क्रय के 72 घण्टे के अन्दर उनके बैंक खाते में धान का मूल्य पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्राप्त हो सके, अन्यथा की स्थिति में भुगतान में विलम्ब होगा।

5(3)– प्रत्येक कृषक का क्रय ऐजेन्सी द्वारा ई–खरीद पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। कृषक पोर्टल पर स्वयं भी अपना पंजीकरण कर सकेगें अथवा क्रय केन्द्र पर आकर भी पंजीकरण करा सकते हैं। दिनांक 11.08.2022 से कृषकों के पंजीकरण हेतु पोर्टल को ऑनलाईन कर दिया गया है तथा दिनांक 30.09.2021 तक पंजीकरण करने की सुविधा प्रदत्त की गयी है। विषम परिस्थितियों में निर्धारित तिथि तक जिन कृषकों का पंजीकरण न हो पाया हो, ऐसे कृषकों का पंजीकरण उनके द्वारा क्रय केन्द्र पर अपने उत्पाद को विक्रय हेतु लाये जाने पर सर्वप्रथम क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा उनके पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

6. कृषक पंजीकरण में अंकित भूमि का सत्यापन तथा ई–खरीद व्यवस्था–

6(1) खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में समस्त क्रय एजेन्सियां ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनायेंगी। कृषक की भूमि का ऑनलाईन वेरिफिकेशन राजस्व विभाग की भूलेख सम्बन्धी वेबसाइट से लिंकेज देकर कराया जायेगा, जिन कृषकों की भूमि का विवरण भूलेख पोर्टल पर किन्ही कारणों से उपलब्ध नहीं है ऐसे पंजीकृत कृषकों का सत्यापन गत् वर्षों में प्रचलित व्यवस्थानुसार

सुनिश्चित किया जायेगा। संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा एस0डी0एम0 को मल्टीपल लॉगिन उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा यथा–आवश्यकतानुसार संबंधित जिलाधिकारी द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी को भी मल्टीपल लॉगिन उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे कृषकों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाईन डाटा वेरिफिकेशन का कार्य सुगमता से पूर्ण किया जा सके।

6(2) समस्त क्रय संस्थायें अपने संसाधनों से कम्प्यूटर/लैपटॉप, आईपैड, इन्टरनेट कनेक्शन, मानव संसाधन व इस निमित्त अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें समय से सम्पन्न करेंगी।

6(3) धान खरीद हेतु संचालित ई–खरीद पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल जो कि भारत सरकार के सी0एफ0पी0पी0 (सेन्ट्रल फूड ग्रेन प्रोक्योरमेण्ट पोर्टल) को भी सपोर्ट करेगा, के लिये धान खरीद का प्रत्येक विवरण ई–खरीद मॉड्यूल पर फीड करना अनिवार्य होगा। केवल उसी खरीद को मान्यता दी जायेगी, जो ऑनलाइन फीड होगी। ऑफलाइन खरीद किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी। धान क्रय के साथ–साथ धान का प्रेषण, धान की प्राप्ति, सी0एम0आर0 प्रेषण, सी0एम0आर0 प्राप्ति तथा एक्नॉलेजमेन्ट निर्गमन, बिलिंग आदि की प्रकियायें मिलर मॉड्यूल, डिपो मॉड्यूल, बिलिंग आदि मॉड्यूल प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सम्पादित की जायेंगी।

7. <u>क्रय केन्द्रों की स्थापना के मानक एवं संचालन की व्यवस्था–</u>

7(1) जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान की पैदावार एवं आवक के आधार पर नामित क्रय संस्थाओं द्वारा संचालित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों का निर्धारण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

जिले में संचालित होने वाली क्रय एजेन्सियो द्वारा जिले में स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों की सूची जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा क्रय केन्द्रों का निर्धारण दिनांक 25 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण किया जायेगा। क्रय केन्द्रों के निर्धारण को अन्तिम रूप देने के पूर्व जिलाधिकारी, जिला खरीद अधिकारी, क्रय एजेन्सियों के जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त मण्डी समिति के सचिवों के साथ बैठक भी करेंगे। क्रय संस्थाऐं क्रय केन्द्रों की संख्या को मण्डियों में धान की आवक के आधार पर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरान्त बढ़ा/घटा सकते हैं।

8–<u>धान का क्रय</u> :–

8(1)– राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय की व्यवस्थायें सुनिश्चित करती है। राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं के माध्यम से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप किया जायेगा। खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत राज्य सरकार की क्रय संस्थाओं हेतु 3.00 लाख मी0टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

8(2)– कृषकों द्वारा क्रय केन्द्र पर अपने धान का नमूना विक्रय हेतु लेकर आने पर, क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुसार उसकी गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित की जायेगी। क्रय केन्द्र प्रभारी पंजीकृत/सत्यापित किसानों को क्रय केन्द्र पर धान विक्रय हेतु लाने के लिए टोकन निर्गत कर एक तिथि दे दी जायेगी। कृषकों की सुविधा हेतु ई–खरीद पोर्टल पर ऑनलाईन टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। निर्धारित तिथि को गुण–विर्निदिष्टियों के अनुरूप होने पर ही धान का क्रय कर लिया जायेगा।

8(3)– महिला कृषकों एवं दिव्यांग कृषकों का उत्पाद बिना टोकन प्राप्त किये भी क्रय संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता के आधार पर क्रय किया जायेगा।

8(4)– ऐसे छोटे किसान, जिनका क्रय केन्द्र पर विक्रय हेतु लाया गया धान 15 कुन्तल तक होगा ऐसे कृषकों का उत्पाद भी क्रय संस्थाओं द्वारा बिना टोकन क्रय किया जायेगा।

8(5)– सामान्यतः एक दिन में एक क्रय केन्द्र के एक काँटे पर 500 कुन्तल से अधिक धान की तौलाई नहीं की जायेगी इसलिए क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रत्येक क्रय केन्द्र में किसानों की संख्या एवं उनके द्वारा विक्रय की जाने वाली मात्रा के आधार पर अतिरिक्त काँटों की संख्या का निर्धारण कर उनका संचालन किया जायेगा। काँटों की संख्या निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि इनके संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु केन्द्र पर पर्याप्त स्टॉफ/श्रमिकों की तैनाती हो।

9. <u>धान क्रय एजेंसियों एवं क्रय–केन्द्रों/लक्ष्य का निर्धारण</u> :–

9(1)– खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में क्रय–केन्द्रों पर कृषकों का धान क्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित क्रय संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है तथा इन संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले क्रय–केन्द्रों की संख्या तथा धान क्रय का लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किया जाता है :–

क्र0 सं0	क्रय संस्था	केन्द्रो की संख्या		योग	क्रय की जाने वाली धान की मात्रा (मी0टन)		योग
		गढवाल	कुमायूँ		गढवाल	कुमायूँ	
1–	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	12	30	42	39750	82500	122250
2–	उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0	17	152	169	18750	97500	116250
3–	नैफेड	0	20	20	0	11250	11250
4–	एन0सी0सी0एफ0	8	5	13	7500	3750	11250
5–	प्रादेशिक कॉपरेटिव यूनियन	0	20	20	0	15000	15000
6–	उत्तराखण्ड उपभोक्ता सहकारी संघ लि0	10	25	35	9000	15000	24000
कुल योग		**47**	**252**	**299**	**75000**	**225000**	**300000**

9(2)– <u>क्रय केन्द्रों की स्थापना एवं उनका संचालन निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया जायेगा:–</u>

(क) क्रय केन्द्र तहसील, ब्लॉक, सहकारिता विभाग से सम्बद्ध साधन सहकारी समितियों के भवनों, मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थल, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब (AMH), ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (RIN), इत्यादि पर स्थापित किये जा सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त क्रय केन्द्र सरकारी भवन, पंचायत भवन, गन्ना समितियों के भवन, खाद एवं बीज विक्रय केन्द्र पर भी खोले जा सकते हैं। निजी/प्राइवेट भवनों मे क्रय केन्द्र कदापि नहीं खोले जायेंगे, परन्तु अपरिहार्य स्थिति में अपवाद स्वरूप वे ही भवन किराये पर लिये जा सकेंगे, जो कि मुख्य मार्ग पर स्थित हों और जहाँ धान के भण्डारण की पर्याप्त सुविधा भी उपलब्ध हो।

(ख) कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत स्थायी धान क्रय केन्द्र/स्थल बनाये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाये। इस निमित प्रयास किया जाये कि क्रय संस्थाओं के केन्द्र एक निश्चित स्थान पर ही खोले जायें।

(ग) क्रय केन्द्र ऐसे स्थान पर स्थापित किये जायेंगे जहां धान की अच्छी आवक एवं खरीद की अच्छी सम्भावना हो तथा किसान को धान विक्रय के लिए अधिक दूरी न तय करनी पड़े। क्रय केन्द्र मुख्य मार्ग से जुड़ा हो और वहां पर ऑनलाईन धान क्रय हेतु फीडिंग के लिए इण्टरनेट नेटवक्र की उपलब्धता भी रहे।

(घ) क्रय केन्द्रों की स्थापना आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। क्रय एजेन्सियों द्वारा जिलाधिकारी के निर्णय का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर 02 इलेक्ट्रानिक कांटा, 01 नमी मापक यंत्र, विनोईंग फैन एवं पॉवर डेस्टर व डबल जाली का छलना आवश्यक रूप से रखा जायेगा। क्रय केन्द्रों पर उक्त व्यवस्था मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

मण्डी परिषद तथा क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय केन्द्रों पर उक्त उपकरणों की व्यवस्था विलम्बतम् 25 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण कर ली जायेगी। क्रय केन्द्रों पर मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले किसी भी यन्त्र के खराब होने अथवा अनुपयोगी होने की स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी द्वारा तत्काल इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति को दी जायेगी तथा सचिव, मण्डी समिति द्वारा प्राथमिकता पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा इस प्रयोजन हेतु जनपद व सम्भाग स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

9(3)– नामित क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधा के लिए मण्डी समिति द्वारा पेय जल की व्यवस्था, वाहन पार्किंग की व्यवस्था, किसानों के बैठने की सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, किसानों के धान की सुरक्षा हेतु त्रिपाल आदि की व्यवस्था की जायेगी। यदि किन्हीं क्रय–केन्द्रों पर मण्डी समिति द्वारा वर्णित सुख–सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं तो क्रय संस्थाओं द्वारा यह व्यवस्था स्वयं ही सुनिश्चित की जायेगी तथा इस पर होने वाले समस्त व्ययों का समायोजन मण्डी समिति को देय मण्डी शुल्क के विपत्रों से कर लिया जायेगा। क्रय केन्द्रों पर नपी मापक यंत्र मण्डी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे। मण्डी समिति द्वारा सुविधाएं उपलब्ध न कराने की स्थिति में क्रय संस्थाओं द्वारा व्यवस्था किये जाने हेतु व्यय सीमाएं निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं:–

क्र0सं0	खरीद प्रति केन्द्र (कु0 में)	अनुमन्य सीमाएं
	0 से 1500	रू0 15000 प्रति केन्द्र
	1500 से 3000	रू0 25000 प्रति केन्द्र
	3000 से अधिक	रू0 40000 प्रति केन्द्र

9(4)– मण्डी परिषद द्वारा मण्डी के गेट पर धान क्रय के व्यापक प्रचार–प्रसार के निमित्त बड़े–बड़े फ्लैक्सी बैनर लगवाये जायेंगे। मण्डी परिसर में क्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रवेश द्वार के निकट के चबूतरों को क्रय संस्थाओं को आवंटित किया जायेगा। क्रय केन्द्रों की लोकेशन तथा क्रय केन्द्रों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थल व अन्य उपयुक्त स्थानों पर बैनर, पोस्टर, वॉल पेन्टिंग आदि के माध्यम से प्रदर्शक/मार्गदर्शक चिन्ह प्रदर्शित किये जायेंगे। कृषकों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये धान को बिक्री के पूर्व मण्डी यार्ड में व्यवस्थित रखवाने तथा गीले धान को मण्डी यार्ड में सुखाने हेतु मण्डी समितियों द्वारा समुचित व्यवस्था की जायेगी। इसी प्रकार मण्डी के बाहर स्थित क्रय केन्द्र उसी स्थान पर संचालित कराये जायेंगे, जहाँ कृषकों के लिये धान सुखाने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।

कृषकों की सुविधा की दृष्टि से धान क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित सूचनाएं बैनर के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी:–

(01) क्रय संस्था व क्रय केन्द्र का नाम।

(02) क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम व मोबाइल नम्बर।

(03) क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।

(04) धान की किस्म एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य।

(05) उप जिलाधिकारी का नाम व मोबाइल नम्बर।

(06) गुणवत्ता के मानक।

(07) क्रय केन्द्र खुलने का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक।

9(5)– कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने व मूल्य समर्थन योजना में गुणात्मक व पारदर्शी ढंग से धान क्रय के लिये आवश्यक है कि किसानों द्वारा मण्डियों में लाये गये धान की बिक्री हेतु नीलामी द्वारा खुली बोली मण्डी सचिव, क्रय संस्थाओं के केन्द्र प्रभारी तथा उपस्थित व्यापारियों के समक्ष लगायी जायेगी ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। नीलामी प्रक्रिया की यथासम्भव वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जायेगी। धान की नीलामी कराने पर यदि नीलामी में क्रय हेतु उपयुक्त गुणवत्ता (एफ0ए0क्यू0) के धान की बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम आती है, तो क्रय संस्थाओं द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद लिया जायेगा।

9(6)– क्रय केन्द्र पर धान का सुगमतापूर्वक भण्डारण कराने हेतु मण्डी समितियों के चबूतरे व गोदाम धान के अस्थायी भण्डारण हेतु क्रय एजेन्सियों द्वारा प्रयुक्त किये जा सकेंगे। मण्डी के बाहर स्थित किसी क्रय केन्द्र पर धान भण्डारण की समस्या आने पर धान के सुरक्षित भण्डारण हेतु क्रय एजेन्सियाँ जिलाधिकारी के आदेश पर कोई भी भवन/परिसर अधिगृहीत कर सकेंगे।

9(7)– जनपद में एक बार धान क्रय केन्द्रों का निर्धारण करने के पश्चात् अतिरिक्त धान क्रय केन्द्र खोले जाने अथवा निर्धारित क्रय अवधि के पूर्व क्रय केन्द्र को बन्द किये जाने की आवश्यकता पाये जाने पर औचित्य का परीक्षण जिलाधिकारी द्वारा जिला खरीद अधिकारी, क्रय संस्थाओं के जिला स्तरीय अधिकारी एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता से कराकर नया क्रय केन्द्र अनुमोदित कर सकेंगे। इससे पूर्व सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के पास उपलब्ध मानव संसाधन/अन्य संसाधनों की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जायेगी।

9(8)–विगत वर्ष खोले गये क्रय–केन्द्रों पर यदि धान क्रय का कार्य निर्विवाद एवं सफलतापूर्वक संचालित हुआ है तो बिना किसी ठोस आधार के क्रय–केन्द्रों का स्थान परिवर्तन नहीं किया जायेगा। किसी भी दशा में चावल मिलों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों में क्रय संस्थाओं द्वारा राजकीय क्रय केन्द्र संचालित नहीं किये जायेंगे।

9(9)–क्रय संस्थाओं द्वारा धान के मूल्य का भुगतान यथासम्भव 72 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित पंजीकृत किसान को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित कृषके के बैंक खाते में सुनिश्चित किया जायेगा।

9(10)–कृषक का धान गीला अथवा विजातीय तत्व निर्धारित सीमा से अधिक होने पर क्रय केन्द्रों पर इसे अस्वीकृत न किया जाये, बल्कि कृषक को उसे क्रय केन्द्र पर ही सुखाने व साफ करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाय, ताकि मानक के अनुरूप आने पर कृषक का उत्पाद क्रय किया जा सके।

9(11)–यदि उक्त धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आ पाती है एवं कृषक संतुष्ट नहीं है, तो वह तहसील स्तर पर कार्यरत वरिष्ठ विपणन अधिकारी के यहां उक्त की अपील कर सकता है। वरिष्ठ विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति विलम्बतम 48 घण्टे में कृषक के सम्मुख विश्लेषण कर निर्णय लेगी। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे:–

(i)वरिष्ठ विपणन अधिकारी –अध्यक्ष

(ii) मण्डी समिति के सचिव/ग्रेडर –सदस्य

(iii) क्रय केन्द्र प्रभारी —सदस्य

(iv) 02 स्वतंत्र कृषक —सदस्य

9(12)—अपरिहार्य परिस्थिति में कृषक द्वारा लाये गये धान को अस्वीकृत किये जाने पर रिजेक्शन पंजिका में धान विक्रेता कृषक का नाम व उसका पूरा पता, मोबाइल नम्बर, धान की मात्रा तथा अस्वीकृत करने का पर्याप्त एवं स्पष्ट कारण अंकित किया जायेगा तथा इसकी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रविष्टि भी की जायेगी, जिसमें धान को अस्वीकृत करने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। अस्वीकृत किये गये धान का नमूना केन्द्र पर रखा जायेगा।

9(13)—मांग किये जाने पर रिजेक्शन पंजिका सम्बन्धित किसानों, मा0 जन प्रतिनिधियों एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को भी दिखायी जायेगी।

9(14)—बिचौलियों के शोषण से कृषकों को बचाने के उद्देश्य से पंजीकृत कृषकों से क्रय केन्द्रों पर धान का क्रय किया जायेगा। धान खरीद हेतु प्रथम आवक प्रथम खरीद के सिद्वान्त को लागू रखने के लिए क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा अपनायी गयी टोकन पद्वति के निमित्त क्रय केन्द्र पर एक पंजिका भी अनुरक्षित रखी जायेगी जिसमें केन्द्र पर धान लाने वाले कृषक का क्रमांक, उसका नाम तथा तिथि अंकित की जायेगी। पंजिका में अंकित क्रमांक के अनुसार ही कृषक को टोकन निर्गत किया जायेगा एवं इसी क्रम में धान की तौलाई भी सुनिश्चित की जायेगी।

9(15)— यदि कोई कृषक अपनी उपज की गुणवत्ता का विश्लेषण अपने खेत—खलिहान में ही कराना चाहता है तो कृषकों की मांग पर धान की गुणवत्ता का विश्लेषण उनके एक मोबाइल विश्लेषण वैन के माध्यम से कराया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक क्रय संस्थाओं द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों की संख्या के आधार पर मोबाइल विश्लेषण वैन की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। इसके क्रियान्वयन हेतु सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा मोबाइल विश्लेषण वैन में पर्याप्त उपकरण/सामग्री तथा एक विपणन निरीक्षक की तैनाती की जायेगी।

9(16) किसी भी क्रय संस्था के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें आवंटित धान की मात्रा अन्य क्रय संस्था को आवंटित कर दी जायेगी।

10 <u>जिला खरीद अधिकारी का नामांकन</u> :—

जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान के आवक की स्थिति का आंकलन कराते हुए राज्य सरकार की नामित क्रय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाने वाले क्रय—केन्द्रों का अनुमोदन कर जनपद में धान खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से सम्पादित करने हेतु अपने जनपद में एक जिला खरीद अधिकारी भी नामित किया जायेगा जो कि अपर जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा तथा जो क्रय संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने तथा धान क्रय के कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी होगा ।

खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 में क्रय—केन्द्रों की स्थापना एवं इनके नियमित पर्यवेक्षण हेतु नामित जिला खरीद अधिकारी अपनी अध्यक्षता में समस्त क्रय संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक कराकर क्रय—केन्द्रों की सूची प्राप्त कर जिलाधिकारी से अनुमोदित करायेंगे।

11–<u>क्रय–केन्द्रों के लिये भूमि का किराया</u> :–

क्रय संस्थाओं को क्रय केन्द्र संचालित करने के लिये यदि किसी स्थान पर भूमि ली जाती है तो इसका किराया भारत सरकार से स्वीकृत प्रासंगिक व्ययों से ही वहन करना होगा। इसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा पृथक से नहीं की जायेगी। एकरूपता तथा मितव्ययता की दृष्टि से भूमि के किराये की अधिकतम दर प्रतिवर्ग फिट के आधार पर जिलाधिकारी निर्धारित करेगें, जो कि समस्त क्रय संस्थाओं के लिए अनुमन्य होंगी।

12–<u>क्रय केन्द्रों पर कॉटों तथा बॉटों का सत्यापन</u> :–

12(1)– समस्त क्रय केन्द्रों व संग्रहण डिपों पर सही बांट तथा माप का प्रयोग तथा सही तौलाई किये जाने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त होने वाले कांटे–बांट का सत्यापन तथा समय–समय पर नियमानुसार उनका निरीक्षण किया जायेगा। क्रय केन्द्रों पर मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रॉनिक कांटे स्थापित होते ही विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा तत्काल इनका मुद्रांकन पूर्ण किया जायेगा।

12(2)–क्रय सत्र के दौरान खराब इलेक्ट्रॉनिक कांटों के खराब होने की स्थिति में उसे तत्काल ठीक करने के उद्देश्य से मण्डी परिषद द्वारा प्रत्येक जनपद में अथवा सम्भाग में एक मैकेनिक नामित किया जायेगा तथा उसका मोबाइल नम्बर सभी क्रय संस्थाओं को प्रचारित किया जायेगा।

13–<u>क्रय केन्द्रों पर धान के संग्रह हेतु क्रेट्स/त्रिपाल एवं भण्डारण की व्यवस्था</u> :–

क्रय किये गये तथा विक्रय के लिये लाये गये धान को असामयिक वर्षा से बचाने के लिये प्रत्येक केन्द्र पर क्रेटस तथा त्रिपाल की व्यवस्था समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा स्वयं की जायेगी। यदि केन्द्र पर क्रेटस उपलब्ध न हो तो नीचे पुवाल डालकर उसके ऊपर लकडी की बल्लियाँ बिछाकर धान के बोरे संग्रहीत किये जायें, ताकि धान को जमीन की सीलन आदि से कोई क्षति न हो। क्रय–केन्द्र पर क्रय धान को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने हेतु क्रय संस्थायें स्वयं जिम्मेदार होंगी।

14–<u>क्रय एजेंसियों हेतु बोरे की व्यवस्था</u> :–

14(1)–क्रय ऐजेन्सियों द्वारा संचालित धान क्रय केन्द्रों पर धान का क्रय गत रबी खरीद सत्रों/खरीफ–खरीद सत्रों के अवशेष तथा खरीफ–खरीद सत्र के New/Once Used बोरों में किया जा सकेगा परन्तु इससे उत्पादित कस्टम मिल्ड चावल (Custom Milled Rice) अनिवार्यतः नये बोरों में ही प्राप्त किया जायेगा। क्रय ऐजेन्सियों द्वारा Once Used बोरों में धान का क्रय किये जाने की स्थिति में इसकी सूचना सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को अनिवार्य रूप से दी जायेगी एवं इसी आधार पर भारत सरकार की गाईडलाईन संख्या–15–14/2018 PY-III दिनांक 13.12.2018 में प्राविधानित शर्तों को पूर्ण करने पर अनुमन्य यूजेज चार्जेज (Uses charges) का भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं को किया जायेगा। धान क्रय हेतु नया/Once Used बोरों का प्रत्येक केन्द्र पर लेखा–जोखा पृथक से रखा जायेगा ताकि खरीफ–खरीद सत्र की समाप्ति पर बोरों की वास्तविक स्थिति की जानकारी रहे तथा भारत सरकार से सब्सिडी क्लेम करने में कोई कठिनाई न होने पावें।

यदि कस्टम मिल्ड चावल की डिलीवरी स्टेट पूल डिपो अथवा भारतीय खाद्य निगम डिपो पर करने पर प्रयुक्त नये बोरे अधोमानक (Sub Standard) पाये जाते हैं तो इसके लिये सम्बन्धित चावल मिलर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारियों द्वारा किसी भी दशा में अधोमानक बोरे प्राप्त नहीं किये जायेंगे तथा डिपो पर अधोमानक बोरों में प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान संग्रहण डिपोज पर अधोमानक बोरों में कस्टम मिल्ड चावल पाया जाता है तो प्रेषणकर्ता/प्राप्तकर्ता कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

क्रय संस्थाओं के माध्यम से नये एस0बी0टी0 में क्रय किये गये धान से निर्मित सी0एम0आर0 का सम्प्रदान स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो में करने के उपरान्त चावल मिलर्स के पास यदि अवशेष बोरे रहते हैं तो चावल मिलर्स द्वारा बचे Once Used एस0बी0टी0 विभाग को वापिस कर दिये जायेंगे ताकि आगामी खरीद सत्रों में भारत सरकार की अनुमति उपरान्त ही इन्हें प्रयोग में लाया जा सके।

14(2)– क्रय संस्थाओं द्वारा सर्वप्रथम गत रबी/खरीफ विपणन सत्रों के अवशेष/सत्यापित नये एस0बी0टी0/पी0पी0 नये बोरों में ही धान/सी0एम0आर0 का क्रय किया जायेगा। तदोपरान्त ही खरीफ विपणन सत्र 2022–23 के बोरे प्रयोग में लाये जा सकेंगे।

14(3)– बोरों में धान की भर्ती शुद्ध वजन 40.00 कि0ग्रा0 व कस्टम मिल्ड चावल की भर्ती शुद्ध वजन 50.00 कि0ग्रा0 के आधार पर की जायेगी।

14(4)– कोलकाता से मांग के अनुरूप बोरों की प्राप्ति होने पर यदि खाद्य विभाग के पास बोरों के भण्डारण हेतु पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं है तो सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अस्थाई गोदाम तात्कालिक आवश्यकता हेतु किराये पर ले सकेंगे। बोरों के भण्डारण हेतु किराये पर लिये गये अस्थाई गोदाम का किराया उस ब्लॉक क्षेत्र में पी0डी0एस0 गोदाम के लिये स्वीकृत किराया दरों के अनुरूप ही देय होगा।

14(5)–क्रय संस्थाओं द्वारा धान खरीद के लिये बोरों की मांग उनके पास गत रबी/खरीफ सत्रों के अवशेष नये/एक बार प्रयोग बोरों की उपलब्धता का आंकलन करने उपरान्त ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सुनिश्चित की जायेगी। धान क्रय के लिये क्रय संस्थाओं द्वारा बोरों की अपनी तात्कालिक आवश्यकता सम्बन्धित जनपद के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा वास्तविक रूप से बोरों की आवश्यकता का आंकलन कर तद्नुसार सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को मांग पत्र प्रेषित किया जायेगा।

15–<u>मानक नमूने का प्रदर्शन</u> :–

खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु धान का किस्मवार नमूना सील करके प्रत्येक क्रय–केन्द्र पर सुरक्षित रखा जायेगा जिसको निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के आधार पर तैयार किया जायेगा और उसे कृषकों तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निरीक्षण हेतु अवश्य प्रदर्शित कराया जायेगा तथा कृषकों को इसी आधार पर अपना धान विक्रय हेतु लाने के लिए प्रेरित किया जायेगा।

16–धान के मूल्य का भुगतानः–

16(1)– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो के संचालन एवं कृषकों को धान के मूल्य का भुगतान करने हेतु वित्त नियंत्रक, खाद्य द्वारा आवश्यकतानुसार कैश क्रेडिट लिमिट अथवा आवश्यकता के अनुरूप धनराशि प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सी0सी0एल0 की स्वीकृति में विलम्ब होने की दशा में तात्कालिक आवश्यकता हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति से अग्रिम धनराशि खाद्य विभाग के लेखाशीर्षक "4408" से आहरित कर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों की मॉग पर उन्हे आवटिंत की जा सकेगी।

16(2)– क्रय संस्थाओं द्वारा कृषकों को मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान यथा सम्भव 72 घण्टे के अन्दर तत्परता से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित कृषक के बैंक खाते में सुनिश्चित किया जायेगा।

सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा खाद्य विभाग के संचालित क्रय–केन्द्रों को किसी एक शैडयूल्ड/राष्ट्रींयकृत बैक से संबद्ध करके "पैडी परचेज एकाण्ट" के नाम से खाता खोला जायेगा। खाद्य विभाग के क्रय–केन्द्र प्रभारियों द्वारा एक समय में किसी एक कृषक को अधिकतम अंकन रु0 4,00,000.00 (रूपये चार लाख मात्र) तक धान के मूल्य का भुगतान तथा रु0 4,00,000 से अधिक धान के मूल्य का भुगतान संभागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा।

16(3)–इसी प्रकार अन्य नामित समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा भी कृषकों को मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत उनसे क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान यथासम्भव 72 घंटे के अन्दर पी0फ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रय संस्थाओं द्वारा प्रासंगित व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु कृषकों को निर्धारित समय–सीमा में किये गये भुगतान से सम्बन्धित समस्त विपत्र/अभिलेख सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने अनिवार्य होंगे।

पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों को तत्काल भुगतान किये जाने के उद्देश्य से ई–खरीद पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्थाएं एवं दिशा–निर्देश खाद्यायुक्त के स्तर से जारी किये जायेंगे।

17–धान खरीद केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख :–

17(1)– क्रय संस्थाओं द्वारा धान क्रय सम्बन्धी अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर रखे जायेंगेः–

(01) टोकन पंजिका।
(02) निरीक्षण पंजिका।
(03) शिकायत पंजिका।
(04) धान रिजेक्शन पंजिका।
(05) क्रय तकपट्टी।
(06) क्रय पंजिका।
(07) स्टॉक रजिस्टर।
(08) बोरा रजिस्टर।
(09) टी0सी0डी0सी/मूवमेंट चालान।
(10) ऑन लाईन क्रय पंजिका।
(11) बोरा रजिस्टर।

(12) भुगतान विवरण व स्टॉक पंजिका के अद्यावद्यिक प्रिंट आऊट।

धान विक्रय करने हेतु उपस्थित कृषक अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा क्रय पंजिका तथा अन्य अभिलेखों पर नाम अंकित करते हुए हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उपस्थित व्यक्ति की पहचान उसके आधार कार्ड से की जायेगी। यदि कृषक के स्थान पर उसके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित होता है तो उसके द्वारा मूल कृषक का तथा अपना आधार कार्ड दोनों लाया जायेगा, जिसके आधार पर केन्द्र प्रभारी द्वारा पहचान सुनिश्चित की जायेगी तथा आधार कार्ड की छायाप्रति केन्द्र प्रभारी द्वारा स्वयं संरक्षित की जायेगी।

सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारी, निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र पर अभिलेखों का रख–रखाव ठीक से किया जा रहा है तथा उनमें अद्यतन प्रविष्टियाँ सुरक्षित रखी जा रही है। निरीक्षण के समय अनियमितता/विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

18–<u>धान की बोरों में भराई सिलाई एवं स्टेन्सिलिंग</u> :–

18(1) क्रय केन्द्रो पर क्रय किये गये धान में प्रयुक्त बोरों में 40 कि0ग्रा0 की दर से उल्टे बोरों में भरकर 12 टाँको से मजबूत सुतली से सिलाई कर प्रत्येक बोरे पर खरीद वर्ष, भराई की तिथि, क्रय संस्था का नाम, धान का ग्रेड तथा भरते समय का वजन, हैण्डलिंग ठेकेदारों द्वारा चटक रंग से स्टेसिलिंग कराया जायेगा, जिससे पढ़ने में सुविधा हो।

18(2) उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेसिंलिंग न करने पर क्रय संस्था द्वारा क्रय केन्द्र हेतु नियुक्त किये गये हैण्डलिगं ठेकेदार के विपत्रों से यथास्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ सुनिश्चित की जायेगी:–

(अ)– खराब सिलाई 12 टाँको से कम तथा खराब सुतली लगने पर 1.00 पैसे प्रति एस0बी0टी0।

(ब)– स्टेंन्सिल न करने या खराब करने पर रू0 2.00 प्रति एस0बी0टी0।

19–<u>स्टेंसिलिंग/ब्रान्डिंग एवं कलर कोडिंग</u> :–

भारत सरकार के पत्र संख्या–15–35/2020.PY-III(E-373783) दिनांक 18.04.2022 द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में प्रयुक्त होने वाले नये एस0बी0टी0 (50 कि0ग्रा0) पर निम्नानुसार कलर कोडिंग/स्टैन्सलिंग निर्धारित की गयी हैं :–

1-Stencil or Branding as per indenters' requirements shall be in "/BLUE" colour.

2-Marking or Stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the FCI/State Agencies in "RED" colour.

3- For indentification marking or marketing season, there will be color coded strip/s. on every jute bag. Width of the each strip will be of 4 threads. Each strip will be running along the length of the Bag and shall be in "RED" colour.

20–<u>प्रचार प्रसार</u> :–

राज्य सरकार की मंशा कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का अथवा इससे अधिक मूल्य दिलाने की है। इसके लिये व्यापक प्रचार–प्रसार सम्बन्धित जिलाधिकारी तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मण्डी समिति, क्रय संस्थाओं के माध्यम से आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा प्रचार–प्रसार माध्यमों से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा, ताकि कृषकों को राज्य सरकार द्वारा दी जा

रही व्यवस्था की सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके तथा उनका कोई उत्पीड़न न कर सके।

21— <u>धान की आमद व बाजार भाव की समीक्षा</u> :—

जिला स्तर पर जिलाधिकारी, उपसम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा मण्डियों एवं क्रय–केन्द्रो पर धान के बाजार भाव एवम् धान आवक की नियमित समीक्षा की जायेगी। जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें सरकारी क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय किये गये धान की स्थिति की समीक्षा की जायेगी। साथ ही धान क्रय के सबंध में की गई शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रकोष्ठ कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक क्रियाशील रखे जायेगें।

मण्डी निदेशक के स्तर से प्रतिदिन स्थानीय मण्डियों में होने वाली धान की मण्डीवार आवक एवं दैनिक बाजार भाव की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

21(1)— सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा जनपद स्तर पर क्रय संस्थाओं के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा धान क्रय की नियमित समीक्षा की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्रों पर डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो। जहाँ भी धान के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की सूचना प्राप्त हो अथवा कृषकों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की संभावना प्रतीत हो वहाँ तत्परतापूर्वक सरकारी क्रय संस्थाओं द्वारा धान का क्रय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार क्रय–केन्द्र तत्काल खुलवाकर खरीद की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

21(2)— खाद्यायुक्त कार्यालय में धान खरीद एवं उद्ग्रहित कस्टम मिल्ड चावल का नियमित अनुश्रवण मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन क्रीत धान खरीद/कस्टम मिल्ड चावल की संकलित सूचना खाद्यायुक्त को ई–मेल–foodcommfcs@gmail.com पर तथा खाद्यायुक्त द्वारा साप्ताहिक आख्या प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

22— <u>खरीदे गये धान का निस्तारण</u> :—

राज्य सरकार की नामित क्रय संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान का निस्तारण विगत वर्षो की भाँति दो विकल्पों के आधार पर किया जा सकेगा :—

22(1)— क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय किये गये धान को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से कुटाई कराकर निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का 50 प्रतिशत सम्प्रदान अनिवार्यतः स्टेट पूल तथा 50 प्रतिशत केन्द्रीय पूल योजना हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा। स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु निर्धारित गुण–निर्दिष्टियों के अनुरूप न पाये जाने की दशा में यदि प्राप्तकर्ता स्टेटपूल डिपो प्रभारी/भारतीय खाद्य निगम डिपो द्वारा चावल को अस्वीकार कर दिया जाता है तो

सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा अपने निजी व्यापार हेतु क्रय धान से निर्मित चावल से प्रतिस्थापन लाट से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

अथवा

22(2)—क्रय किये गये धान को धान के रूप में ही राज्य की किसी चावल मिल को वाणिज्यक विक्रय किया जा सकता है। उक्त स्थिति का अनुपालन न होने पर निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का क्रय संस्थाएं वाणिज्यक विक्रय कर निस्तारित कर सकेगी तथा इस प्रक्रिया में शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति समस्त व्ययों सहित सम्बन्धित दोषी कार्मिकों से की जायेगी।

22(3)— क्रय संस्थाओं द्वारा खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत दिनॉक 01—10—2022 से क्रय—केन्द्रों पर क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान अनिवार्यतः दिनाँक 31—07—2023 तक विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्टेट पूल डिपो अथवा केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड में किया जायेगा ताकि समयान्तर्गत राजकीय धान की रिकवरी शत—प्रतिशत सुनिश्चित की जा सके। स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य से अधिक समस्त कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान अनिवार्यतः केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

22(4)— खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 में क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्रों पर क्रय धान की कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से कराई जायेगी। जिस क्रय ऐजेन्सी द्वारा धान का क्रय किया जायेगा उसी ऐजेन्सी द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट पंजीकृत चावल मिलों से धान की कुटाई उपरान्त निर्मित सी0एम0आर0 का उद्ग्रहण भी सुनिश्चित कराया जायेगा। मिलों से कस्टम मिल्ड चावल उद्ग्रहण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रय संस्थाओं का होगा। क्रय संस्थाओं द्वारा भी क्रय धान सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में पंजीकृत जिन चावल मिलों को कुटाई हेतु दिया जायेगा, उन मिलों से क्रय संस्थाओं द्वारा पृथक से एक अनुबन्ध भी सम्पादित किया जायेगा, किन्तु प्रतिभूति के रूप में जमा नहीं करायी जायेगी।

23— <u>धान की कस्टम मिलिंग हेतु विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन अधिकारी के दायित्व</u> :—
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा खरीफ—खरीद सत्र 2022—23 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत क्रय किये गये धान की क्रय केन्द्रों पर नियमित जाँच तथा चावल मिलों को कुटाई हेतु दिये गये राजकीय धान की मात्रा का मिलों में सत्यापन एवं इससे निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का निर्दिष्ट स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक संचरण कराने हेतु नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण का दायित्व सम्बन्धित क्रय संस्था के क्रय केन्द्र प्रभारी/जिला स्तरीय अधिकारी का होगा। सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन चावल मिलों को धान कुटाई हेतु दिया गया है वह चोरी अथवा खुर्द—बुर्द न होने पावे। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रय ऐजेन्सी का होगा।

24–<u>क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई (कस्टम हलिंग)/सम्प्रदान</u> :–

24(1)–चावल मिलों को सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में धान की हलिंग करने हेतु अपना पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के पश्चात् खाद्य विभाग द्वारा मिलों का सत्यापन किया जायेगा, सत्यापन के उपरान्त चावल मिलों की क्षमता, चैहद्दी, मिल मशीनरी, अपेक्षित विद्युत संयोजन, धान/चावल के भण्डारण हेतु मिल पर उपलब्ध फड/भण्डारण क्षमता भी सत्यापित की जायेगी। चावल मिलों को उनके पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता तथा उनकी कुटाई क्षमता के अनुरूप ही धान प्रेषित किया जायेगा।

24(2)–भारत सरकार दिनांक 01.04.2023 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली/आई0सी0डी0एस0/पी0एम0 पोषण एवं ओ0डब्ल्यू0एस0 हेतु फोर्टिफाइड चावल की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है। फलस्वरूप खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 के अन्तर्गत सम्स्त क्रय किये गये धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल के रूप में ही प्राप्त किया जाना है। इस हेतु सत्यापित/पंजीकृत चावल मिलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की ब्लेडिंग यूनिट की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करा ली जाय, ताकि मानकों के अनुरूप चावल मिलों से फोर्टिफाइड चावल की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

24(3)–धान की कुटाई हेतु मण्डी समिति के लाइसेंसी, वाणिज्य कर विभाग/भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) में पंजीकृत एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अद्यावधिक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त समस्त चावल मिलों का खाद्य विभाग में पंजीकरण/इम्पैनलमेन्ट निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। क्रय केन्द्रों से मिलों के सम्बद्धीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियन्त्रकों द्वारा निर्गत किये जायेगे।

24(4)–ब्लेक लिस्टेड, धान व चावल का गबन करने वाली, बकाया कस्टम मिल चावल (सी0एम0आर0) वाली, शासन को क्षति पहुॅचाने वाली चावल मिलों एवं ऐसी चावल मिलों के मालिक/प्रोपराइटर एवं उनके परिवारिक सदस्यों यथा माता/पिता, पति/पत्नी, पुत्र/अविवाहित पुत्री एव आश्रित भाई, बहन के स्वामित्व/भागीदारी वाली चावल मिलों से कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं कराया जायेगा।

24(5)– सम्बद्धीकरण के पश्चात् सम्बन्धित क्रय एजेन्सी, कस्टम मिलिंग हेतु सम्बद्ध चावल मिल के साथ अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से सम्बद्ध मिलों से सी0एम0आर0 की अधिप्राप्ति करेंगी। सम्बन्धित क्रय एजेन्सी एवं सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से अनुबन्ध कर निहित शर्तो के अधीन आबद्ध रहते हुये कार्य सम्पादित करेंगे। किसी मिल की देयता हेतु खाद्य विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

24(6)–सम्बद्ध चावल मिल की हलिंग क्षमता के अनुसार उसको पाक्षिक धान प्रेषण की मात्रा निर्धारित की जायेगी तथा इसके अनुसार ही क्रय केन्द्रों से सम्बन्धित चावल मिल को धान का प्रेषण कराया जायेगा। मिल को अगले पक्ष की धान प्रेषण की मात्रा निर्धारित करने पर पूर्व उसके द्वारा गत् पक्ष में प्राप्त धान की सापेक्ष सम्प्रदानित सी0एम0आर0 को संज्ञान में लिया जायेगा। यदि चावल मिल द्वारा भी तत्परता से सी0एम0आर0 सम्प्रदानित नहीं किया जाता है तो उसे धान का प्रेषण रोक दिया जायेगा, जब तक वह पूर्व प्रेषित धान के सापेक्ष सी0एम0आर0 सम्प्रदान नहीं कर देती है।

24(7)–खरीद विपणन सत्र 2022–23 हेतु जारी की जा रही धान क्रय नीति के प्रस्तरों में जो परिवर्तन इस क्रय नीति में किये जा रहे हैं, उक्त परिवर्तन यथोचित स्थान पर आवश्यकता अनुसार अनुबन्ध पत्र में भी रखे जायेंगे।

24(8)–क्रय केन्द्र से मिल को धान का प्रेषण सम्बन्धित संस्थाओं के क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा ऑनलाईन डिस्पैच के माध्यम से किया जायेगा तथा इससे प्राप्त यूनिक डिस्पैच आई0डी0 का अंकन मैनुअल चालान में भी किया जायेगा। प्रेषित धान की गुणवत्ता को जॉच कर प्राप्त करने का अधिकार सम्बन्धित मिल मालिक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को होगा। धान की प्राप्ति मिलर द्वारा मिलर माड्यूल पर की जायेगी एवं ड्राईवर से प्राप्त मैनुअल चालान पर भी हस्ताक्षर कर प्राप्ति रसीद दी जायेगी किन्तु एक बार मैनुवल या ऑनलाईन व्यवस्था के माध्यम से प्रेषित चालान पर प्राप्ति का स्पष्ट आशय होगा कि मिलर के द्वारा गुणवत्ता एवं प्रेषित मात्रा के अनुरूप धान प्राप्त कर लिया गया है एवं गुणवत्ता एवं मात्रा को लेकर भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। केन्द्र से प्रेषित धान की मात्रा का अंकन चावल मिलर द्वारा अपने रजिस्टर में किया जायेगा, जिसे निरीक्षण के समय मांगे जाने पर चावल मिलर द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार कस्टम मिल चावल को स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट गोदामों हेतु प्रेषण में भी केन्द्र प्रभारी द्वारा ऑन लाईन चालान जारी किये जायेंगे।

24(9)– क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई कराने हेतु सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अपने कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों को उनकी जमा प्रतिभूति कुटाई क्षमता व साख के आधार पर क्रय संस्थाओं के धान कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन करेंगे। इस हेतु सम्बन्धित जनपद के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं क्रय संस्थाओं के जिलास्तरीय अधिकारी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

24(10)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रीत धान को सम्बन्धित केन्द्र पर कार्यरत पंजीकृत समस्त चावल मिलों हेतु इस प्रकार आवंटन किया जायेगा कि सम्बन्धित मिलों से समयान्तर्गत कस्टम मिल्ड चावल का उद्ग्रहण सम्भव हो सके। यदि उक्त प्रक्रिया का अनुपालन करने में किसी केन्द्र पर व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है तो सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है।

24(11)– धान की कुटाई का कार्य जिन पंजीकृत चयनित चावल मिलों से कराया जायेगा उस चावल मिल द्वारा राजकीय धान प्राप्ति के अधिकतम् 15 दिन के अन्दर उससे निर्मित 50–50 प्रतिशत कस्टम मिल्ड चावल को सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो पर सम्प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

24(12)– जिन चावल मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व सरकारी/अर्द्व सरकारी विभागों/संस्थाओं/परिषदों/समितियों/राष्टीकृत बैंको की बकाया धनराशि है अथवा जिन मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व आपराधिक/विभागीय मामले चल रहे है अथवा सरकारी नजूल भूमि पर अवैध धान मिल संचालित की जा रही है अथवा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द की गयी हो अथवा गत खरीफ–खरीद सत्र का कस्टम मिल्ड चावल समयान्तर्गत सम्प्रदान न किया गया हो अथवा खुर्द–बुर्द किया गया हो तथा जिन चावल मिलों में पर्याप्त क्षमता का विद्युत संयोजन न हो तथा जिन मिलों द्वारा मिल

स्थापना से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण न की गयी हो ऐसी चावल मिलों को कस्टम हलिंग हेतु कदापि चयनित नही किया जायेगा ।

24(13)–किराये/ठेके पर चलाई जा रही चावल मिलों को धान कुटाई हेतु नहीं दिया जायेगा। क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों के चयन के समय सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन अधिकारी/उपसम्भागीय विपणन अधिकारी की संस्तुति भी प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। इसी प्रकार अन्य क्रय संस्थाओं से भी सम्बन्धित चावल मिलर्स के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

24(14)– सम्बन्धित क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय धान की कुटाई हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत/नियुक्त चावल मिलर्स से निर्धारित प्रारूप पर जिसमें नीति के अनुसार समस्त शर्तों का समावेश हो, एक अनुबन्ध सम्पादित कराया जायेगा। जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, वह क्रय संस्था को अपनी चावल मिल की कुटाई क्षमता के अनुसार सम्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के साथ एक सप्ताह के अन्दर कुटाई क्षमता के आधार पर प्रति टन 2.00 लाख रूपये अथवा अधिकतम 20.00 लाख रूपये की एफ0डी0आर0 प्रतिभूति के रूप में (खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 की समाप्ति अथवा 30.09. 2023 तक वैध होगी) जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत की गयी हो तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी।

24(15)– धान की कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन क्रय केन्दों से स्टेटपूल/केन्द्रीयपूल के अन्तर्गत डिलीवरी डिपो से मिल की दूरी को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। सामान्यतः किसी चावल मिल को उसकी जमा प्रतिपूर्ति के बराबर अथवा उसके द्वारा कुटाई हेतु दिये गये धान से निर्मित सी0एम0आर0 का सम्प्रदान करने उपरान्त ही पुनः धान निर्धारित सीमा तक कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

24(16)– कुटाई के लिए धान से निर्मित चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अरवा के लिए 67 प्रतिशत तथा सेला के 68 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

24(17)– राजकीय धान की कुटाई के लिए चयनित चावल मिल द्वारा राज्य सरकार की नामित क्रय संस्थाओं द्वारा कुटाई हेतु उपलब्ध कराये गये धान तथा अपने निजी व्यापार हेतु क्रय धान व इसकी कुटाई से सबंधित अभिलेख संस्थावार पृथक–पृथक रखे जायेंगे, ताकि निरीक्षण के समय स्टाक सत्यापित किये जाने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी प्रकार क्रय संस्थाओं द्वारा खरीदे गये धान और उससे निर्मित कस्टम मिल्ड चावल से संबंधित अभिलेख भी संस्थावार पृथक–पृथक रखे जायेंगे।

24(18)– क्रय ऐजेन्सियों द्वारा दैनिक धान खरीद के ऑकडों का प्रेषण करने हेतु अनिवार्य रूप से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अध्किारी द्वारा नियमित रूप से OPMS (Online Procurement Monitoring System) के अर्न्तगत क्रय संस्थाओं द्वारा केन्द्रवार/जनपदवार दैनिक धान खरीद के ऑकडे मण्डी आवक सहित संकलित कर खाद्य नियन्त्रण कक्ष, खाद्य आयुक्त कार्यालय एवम् भारतीय खाद्य निगम को OPMS में प्रविष्टि हेतु नियमित दैनिक रूप से उपलब्ध कराये जायेगें ।

इसके अतिरिक्त क्रय धान की कुटाई से सबंधित सूचना भी निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिदिन ई–मेल के माध्यम से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्य नियंत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 एवं अन्य

क्रय संस्थाओं द्वारा भी प्रतिदिन दोनों सम्भागों की जनपदवार धान क्रय की सूचना खाद्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी।

24(19)– यदि किसी क्रय केन्द्र पर मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों से क्रय किये गये धान की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न पाये जाने अथवा अन्य कारणों से चयनित चावल मिलर्स द्वारा इसे कुटाई हेतु अस्वीकार किया जाता है तो गुणवत्ता सम्बन्धी विवाद होने की स्थिति में क्रय धान की गुणवत्ता का विश्लेषण ई–नाम लैब/वरिष्ठ विपणन अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया से चावल मिलर द्वारा सन्तुष्ट न होने की स्थिति में सम्बन्धित जनपद के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्बन्धित संस्थाओं के जिला प्रबन्धक द्वारा मौके पर जाकर क्रय धान की गुणवत्ता का विश्लेषण कराया जायेगा। यदि संयुक्त विश्लेषण उपरान्त क्रय धान/बोरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती है तो क्रय धान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और दोषी कार्मिकों के विरूद्व भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, किन्तु यदि संयुक्त विश्लेषण में क्रय धान/बोरों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी जाती है तो सम्बन्धित मिलर क्रय धान की कुटाई करने हेतु बाध्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित मिलर के विरूद्व नियमसंगत कार्यवाही की जायेगी।

24(20)– चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल के प्रत्येक बोरे के मुँह पर बाहर की ओर मशीन से सिलाई द्वारा 15x10 सेमी0 आकार की रैक्सीन/कैनवास की स्लिप, जिसमें चावल मिल का नाम, फसल वर्ष, कोड नम्बर, लाट संख्या, चावल की किस्म एवं चावल मिलर का मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

24(21)– क्रय संस्थाओं द्वारा चावल मिलर्स को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु जारी अनन्तिम कॉस्टशीट (Cost sheet) में अनुमन्य सूखन का भुगतान भी नियमानुसार किया जायेगा।

25–<u>धान की कुटाई (कस्टम हलिंग) से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का भण्डारण</u> :–

विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत स्टेटपूल में सी0एम0आर0 चावल की मात्रा वैज्ञानिक ढंग से निर्मित विभागीय गोदामों, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिये गये गोदामों में संग्रहीत की जायेगी। स्टेटपूल गोदामों में प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल का संग्रहण करने से पूर्व इसका संयुक्त विश्लेषण सम्बन्धित भण्डारण ऐजेन्सी व वरिष्ठ विपणन अधिकारी/विपणन निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। स्टेटपूल गोदाम में कस्टम मिल्ड चावल संग्रहित होने उपरान्त इसकी गुणवत्ता एवं संग्रहित स्टॉक की सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संग्रह ऐजेन्सियों का होगा। संग्रहण ऐजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड चावल कॉमन एवं ग्रेड–ए का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जायेगा।

राज्य में स्थित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रत्येक गोदाम में जहाँ स्टेटपूल योजना का चावल संग्रहीत किया जायेगा, वहाँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की विपणन शाखा का स्टाफ तैनात किया जायेगा, जो चावल की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरान्त भण्डारण एजेन्सी से चावल का स्टाक प्राप्त कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

योजना/अन्त्योदय अन्न योजना/Tide Over Allocation अथवा समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के आवंटन के अनुरूप प्रेषण करेगा।

26–<u>क्रय धान एवं इससे निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन</u> :–

खाद्य विभाग द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर क्रीत धान को चावल मिलों तक परिवहन कराने का कार्य सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकेदारों के माध्यम से कराया जायेगा। इसी प्रकार अन्य क्रय संस्थाओं द्वारा भी अपने क्रय केन्द्रों हेतु परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति नियमानुसार समयान्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी। धान के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित क्रय संस्थाओं को शासन द्वारा स्लैबवार निर्धारित SOR के आधार पर अथवा भारत सरकार से खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु स्वीकृत अनन्तिम आनुषांगिक दरों (Provisional Cost Sheet) में स्वीकृत परिवहन दरों के आधार पर, जो भी कम होंगी, के अनुसार अनुमन्य होंगी।

इसी प्रकार चावल मिलों से निर्दिष्टस्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक निर्मित सी0एम0आर0 का परिवहन भी सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्गत मूवमेन्ट प्रोग्राम के आधार पर सम्बन्धित चावल मिलर्स द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा स्लैबवार निर्धारित SOR के आधार पर अथवा अथवा भारत सरकार से खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु स्वीकृत अनन्तिम आनुषांगिक दरों (Provisional Cost Sheet) में स्वीकृत परिवहन दरों के आधार पर, जो भी कम होंगी, के अनुसार अनुमन्य होंगी।

परिवहन व्यय के आंकलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी अनुमन्य होगी। क्रय धान से निर्मित सी0एम0आर0 के सम्प्रदान हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा क्रय ऐजेन्सीवार स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपोवार मूवमेन्ट प्लान जारी किया जायेगा। क्रय संस्थाओं का यह दायित्व होगा कि वे सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा जारी मूवमेंट प्लान के आधार पर ही कस्टम मिल्ड चावल का संचरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

27– क्रय संस्थाओं द्वारा चावल मिलों से कस्टम मिल्ड चावल का संचरण निर्धारित ऑन लाईन मूवमेंट चालान के माध्यम से निर्दिष्ट डिपो हेतु किया जायेगा। मूवमेंट चालान जारी करने हेतु क्रय संस्थाओं द्वारा सक्षम नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। क्रय संस्थाएं मूवमेंट जारी करने हेतु अधिकृत कार्मिक का नाम/पदनाम व हस्ताक्षर प्रमाणित कर सम्बन्धित जनपदों के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

28– <u>क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का भुगतान</u> :–

खाद्य विभाग द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग सम्बन्धी कार्य सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा नियुक्त हैण्डलिंग ठेकेदारों के माध्यम से कराया जायेगा। इसी प्रकार अन्य नामित क्रय संस्थाओं द्वारा भी क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी। हैण्डलिंग कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा खरीफ–विपणन सत्र 2022–23 हेतु जारी प्रोविजनल कॉस्टशीट में अनुमन्य मण्डी लेबर चार्जेज अथवा शासन द्वारा अधिसूचित मण्डी लेबर चार्जेज की मदवार निर्धारित दरों के आधार पर हैण्डलिंग ठेकेदारों को भुगतान किया

जायेगा। इस निमित्त भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 हेतु अनुमन्य प्रोविजनल कॉस्टशीट की दरें अधिकतम होंगी। हैण्डलिंग से सम्बन्धित बिलों के भुगतान हेतु हैण्डलिंग ठेकेदार द्वारा मण्डी लेबर चार्जेज के लिए विभिन्न मदों में किये गये कार्य का पृथक–पृथक विवरण भी अपने विपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

29– <u>क्रय केन्द्रो के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु स्टेशनरी, पी0ओ0एल0 एवं अन्य मदों हेतु व्यवस्थाः–</u>

29(1) क्रय संस्थाओं द्वारा संचालित क्रय केन्द्रों पर खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 के अन्तर्गत धान क्रय की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित मदों पर व्यय निर्धारित सीमा तक अनुमन्य होगा :–

(01) योजना का प्रचार–प्रसार।

(02) क्रय कार्य हेतु कार्मिकों का तकनीकी प्रशिक्षण।

(03) टेलीफोन/मोबाइल/स्टेशनरी/कम्प्यूटर/लैपटॉप/इण्टरनेट/प्रिन्टर/ई–उपार्जन से सम्बन्धित उपकरणों व अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय, सर्वर क्रय, क्रय से सम्बन्धित डाटा स्टोरेज (एस0 ए0 एन0 स्टोरेज), सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रय, कार्टिज क्रय इत्यादि।

(04) इलेक्ट्रॉनिक कांटा/नमी मापक यंत्र/डस्टर/जनरेटर/यांत्रिक मशीनरी को चलाने हेतु लगने वाला फ्यूल/क्रय केन्द्र/कार्यालय/गोदाम हेतु विद्युत कनेक्शन व विद्युत खर्च/नेट कनेक्टिविटी/बोरों की सिलाई हेतु इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन/सोलन पैनल/खाद्यान्न के विश्लेषण हेतु विश्लेषण किट आदि पर व्यय।

(05) क्रय केन्द्रों के निरीक्षण, चावल मिलों में प्रेषित धान/उत्पादित सी0एम0आर0 के सत्यापन के कार्य हेतु किराये पर वाहन लेने तथा पी0ओ0एल0 (Petroleum Oil and Lubricant) की व्यवस्था।

(06) अस्थाई मानव संसाधन की व्यवस्था तथा ई–उपार्जन सॉफ्टवेयर हेतु एन0आई0सी0 से आऊटसोर्स तकनीकी मानव संसाधन की व्यवस्था।

(07) वर्षा आदि से खाद्यान्न के बचाव तथा रख–रखाव के लिये क्रेटस, तिरपाल, पॉलिथीन कवर तथा अन्य आवश्यक सामाग्री क्रय की व्यवस्था।

(08) स्टॉफ की कमी, खाद्यान्न क्रय में कार्य की अधिकता, कृषक पंजीकरण, ई–उपार्जन के माध्यम से खरीद के दृष्टिगत खाद्य विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कमी की स्थिति में जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन कर उनसे कम्प्यूटर ऑपरेटर व चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की पूर्ति नियमानुसार सक्षम स्तर से की जा सकेगी।

(09) चूंकि खाद्यान्न का उठान/वितरण व खाद्यान्न क्रय में सम्प्रदान ऑन लाईन बिलिंग व भुगतान का कार्य पूरे वित्तीय वर्ष होता रहेगा, अतः उक्त मदों में व्यय पूरे वित्तीय वर्ष में अनुमन्य होगा।

29(2) क्रय संस्थाओं द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो पर खरीफ–खरीद सत्र 2022–23 में उक्त मदों में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्रोविजनल कॉस्टशीट में अनुमन्य प्रशासनिक व्यय में स्वीकृत (Allowed) मदों के आधार पर की जायेगी। प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु क्रय संस्थाओं द्वारा सुसंगत अभिलेख एवं वांछित आदेश/अनुबंध की प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य होंगी।

उक्त के अतिरिक्त सरकारी गोदाम उपलब्ध न होने पर कस्टम मिल्ड चावल के संग्रहण हेतु किराये के गोदाम लिया जाना, व धान के मूल्य भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। अन्य नामित क्रय संस्थाओं द्वारा भी इस मद में अपने संसाधनों से व्यवस्था की जा सकेगी जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी

कास्टशीट में अनुमन्य प्रशासनिक व्यय हेतु स्वीकृत (Allowed) मद से की जायेगी। इस मद की प्रतिपूर्ति हेतु समस्त क्रय संस्थाओं द्वारा भारत सरकार से स्वीकृत (Allowed) अनुमन्य व्ययों का साक्ष्य/अभिलेख अनविार्यतः प्रयुक्त किये जायेंगे ताकि प्रतिपूर्ति भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

30— <u>धान क्रय—केन्द्रो/भण्डारण डिपो का निरीक्षण</u> :—

30(1) धान खरीद की दृष्टि से चिन्हित संवेदनशील जनपदों में डिस्ट्रेस सेल को रोकने हेतु विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नामित किये जायेगा, जो आबंटित जनपदों में यथावश्यक भ्रमण एवं निरीक्षण कर धान क्रय व चावल भण्डारण में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण सुनिश्चित करायेंगे।

30(2) जनपद में कृषकों को धान की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है एवं निर्धारित मानक के अनुरूप धान की डिस्ट्रेस सेल नहीं हो रही है, इसे सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी धान खरीद, उप जिलाधिकारी व खाद्य विभाग के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, सम्भागीय विपणन अधिकारी एवं सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक एवं क्रय संस्थाओं के जिलास्तरीय अधिकारी अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

30(3) क्रय केन्द्रों को भौतिक रूप से क्रियाशील कराने, सुचारू रूप से धान क्रय सम्प्रदान व बिलिंग आदि कराने हेतु क्रय संस्था के अधिकारियों यथाः— सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, सम्भागीय विपणन अधिकारी/संयुक्त निबन्धक (सहकारी समितियां)/क्रय संस्थाओं के मण्डलीय अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/जिला निबन्धक (सहकारी समितियां) क्रय संस्था के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निरीक्षण किये जायेंगे।

खाद्यायुक्त स्तर से भी एक अनुश्रवण हेतु एक टीम, जिसमें मुख्य विपणन अधिकारी, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन अधिकारी तथा विपणन निरीक्षक आवश्यकतानुसार सम्मिलित होंगे। गठित टीम द्वारा धान क्रय केन्द्रों, चावल मिलों में संग्रहित धान, निर्मित कस्टम मिल्ड चावल तथा स्टेटपूल डिपो पर चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण किये जायेंगे तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट खाद्यायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी।

31— <u>खाद्य नियंत्रण कक्ष एवं खरीद के आँकडों का प्रेषण</u> :—

31(1) जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पर्यवेक्षण में एक खरीद प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी, जिसमें धान क्रय कार्य की नियमित समीक्षा की जायेगी। साथ ही साथ धान क्रय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जायेगी।

31(2) राज्य स्तर पर धान खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवम् समीक्षार्थ खाद्य नियंत्रण कक्ष, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड में कार्यशील है। नियमित धान खरीद से संबधित एजेन्सीवार एवं जनपदवार ऑनलाईन खरीद सूचना संबधित जनपद के जिला खरीद अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिदिन ई—मेल— foodcommfcs@gmail. com पर नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

32— जिलाधिकारी/मण्डी निदेशक/सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक एवं क्रय एजेंसियाँ धान खरीद हेतु शासनादेश संख्या 732/22—XIX—2/38 खाद्य/2020 दिनांक 16.08.2022 द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार धान क्रय—केन्द्रों की स्थापना, कार्मिकों की तैनाती, बोरों की व्यवस्था, धन की व्यवस्था एवं अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थायें समयान्तर्त सुनिश्चित की जायेंगी, ताकि धान का क्रय सुचारू रूप से आरम्भ हो जाये।

33— <u>पुरस्कार/मानदेय एवं दण्ड की व्यवस्था</u> :—

कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से धान क्रय कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने अथवा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत—प्रतिशत धान की खरीद करने पर क्रय संस्थाओं तथा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार/मानदेय देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि धान खरीद प्रक्रिया में क्रय संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता बरती जाती है या लक्ष्य के अनुरूप धान क्रय किये जाने में योगदान नहीं दिया जाता है तो उसे नियमानुसार दण्डित करने हेतु सभी क्रय संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

34. <u>कठिनाईयों का निराकरण</u> :—

निर्गत धान क्रय नीति अथवा तत्सम्बन्धित शासनादेशों के क्रियान्वयन को सुगमता से लागू करने में यदि फिल्ड स्तर पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव की जाती है अथवा किसी प्रस्तर के लिये स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो इसके लिये आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो, जो नीति विषयक हो या जिसमें अनुमोदित नीति से विचलन निहित हो तो आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जनपदों/सम्भागों से प्राप्त सुझावों पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त समय—समय पर नीति के अनुरूप राज्य के कृषकों के हित में आवश्यक दिशा—निर्देश जारी किये जाने किये जाने हेतु आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को अधिकृत होंगे।

धान खरीद में विभिन्न स्तरों पर उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

<u>संख्या 816 (i)/22—XIX-2/38 खाद्य/2020 टीसी तद्दिनांतकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2— प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3— प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

4— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
7— मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
8— महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
9— क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड द्वारा खाद्यायुक्त।
10— निजी सचिव, मा0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ हेतु।
11— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12— वित्त नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,, उत्तराखण्ड ।
13— नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड ।
14— सम्भागीय विपणन अधिकारी, कुमायूँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
15— सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
16— एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू),
उप सचिव।